न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 676 / 2023

अनवान : –

1. सन्तलाल पुत्र गिरधारी जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. शादीराम पुत्र गिरधारी जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. शान्ति पत्नी गिरधारी जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
3. मोहरा पत्नी बलवन्त जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. रोहिताश पुत्र बलवन्त जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
5. प्रताप पुत्र बलवन्त जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
6. चन्द्रकला पुत्री बलवन्त जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
7. बिमला पुत्री गिरधारी जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
8. हंसकौर देवी पुत्री गिरधारी जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
9. सलोचना पुत्री गिरधारी जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
10. कमला देवी पुत्री गिरधारी जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
11. मीना पुत्री गिरधारी जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
12. गोमती पुत्री गिरधारी जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
13. रजनी पुत्री गिरधारी जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः- 09/02/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता संख्या 109 / 109 की कुल 27.0510 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक गिरधारी पुत्र बेगाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गिरधारी पुत्र बेगाराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है गिरधारी पुत्र बेगाराम का देहान्त हो चुका है गिरधारी पुत्र बेगाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1, 2 व 7 ता 13 व बलवन्त पुत्र गिरधारी हुए तथा बलवन्त पुत्र गिरधारी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 है। जो गिरधारी पुत्र बेगाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या प्रतिवादी संख्या 6 जो की प्रतिवादी संख्या 3 की पुत्री एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 13 जो की वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपनी माता, भाईयों व भाई के वारिसों के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:00:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा भूमि पर काबिज है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 13 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 14 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2076–79 रोही मौजा दुर्जाना खाता संख्या 109/109, मृत्यु प्रमाण पत्र गिरधारी, मृत्यु प्रमाण पत्र बलवन्त व सदस्य प्रमाण पत्र बहक गिरधारी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता गिरधारी पुत्र बेगाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 6 व 8 ता 13 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:00:04 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के खाता संख्या 109/109 की कुल 27.0510 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक गिरधारी पुत्र बेगाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादी के पिता गिरधारी पुत्र बेगाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 है। प्रतिवादी संख्या 6 व 8 ता 13 ने उक्त वाद भूमि में अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है।। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा गिरधारी पुत्र बेगाराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता संख्या 109/109 की कुल 27.0510 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक गिरधारी पुत्र बेगाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक गिरधारी पुत्र बेगाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि के तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/02/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:00:04 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 676 / 2023

अनवान : –

1. सन्तलाल पुत्र गिरधारी जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. शादीराम पुत्र गिरधारी जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. शान्ति पत्नी गिरधारी जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
3. मोहरा पत्नी बलवन्त जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. रोहिताश पुत्र बलवन्त जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
5. प्रताप पुत्र बलवन्त जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
6. चन्द्रकला पुत्री बलवन्त जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
7. बिमला पुत्री गिरधारी जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
8. हंसकौर देवी पुत्री गिरधारी जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
9. सलोचना पुत्री गिरधारी जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
10. कमला देवी पुत्री गिरधारी जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
11. मीना पुत्री गिरधारी जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
12. गोमती पुत्री गिरधारी जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
13. रजनी पुत्री गिरधारी जाति जांगिड़ निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 676 सन 2024 निर्णय दिनांक – 09/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता संख्या 109 / 109 की कुल 27.0510 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक गिरधारी पुत्र बेगाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक गिरधारी पुत्र बेगाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक को 1 / 4 हिस्सा भूमि के तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को संयुक्त रूप से 1 / 4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:00:04 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर